(iv) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में शेयर होल्डरों में से एक मैसर्स दिल्ली आटोमोबाइल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बन्द करने की याचिका में कम्पनी को परिसमापन में रखने के लिए निम्नलिखित कारणों का औचित्य सिद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था:—

(1) कि यह भली प्रकार ज्ञातव्य है कि कम्पनी पर छः करोड़ रुपयों के लगभग कुल भारी देवताएं हैं, जिसको वह चुकाने में असमर्थ है तथा उसके ऋणदाताओं में पहले ही भारी कशमकश है ।

(2) कम्पनी जनता में कारों की बिक्री के लिए विनिर्माण करने के लिए समर्थ नहीं हुई है ।

(3) वाणिज्यिक दिवालियापन और विभिन्न अन्य विपरीत कारणों से उसका व्यापार पूर्णतः पक्षाघातग्रस्त हो गया है और रुक गया है तथा उसके कारीगर और अन्य कर्मचारी उसको छोड़ गये । उसके व्यापार को पुनर्जीवित करने की अब कोई सम्भावना नहीं है ।

(4) यद्यपि कम्पनी के पास परिसमाप्त परिसम्पत्तियां कोई नहीं हैं उसके पास मूल्यवान परिसम्पत्तियां हैं, जिसका यदि ढंग से उचित निपटान किया जाता है तो यह आशा है कि उसके योगदाताओं में वितरण करने के लिए भारी राशि को उपलब्ध करते हुए छोड़ कर उसके सभी ऋणदाताओं को अदायगी के लिए यह पर्याप्त है कम्पनी को बन्द करना न्यायसंगत और सुनीतिसंगत है ।

(v) सम्मानित उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं को सुना और जब न्यायालय को कारणों से संतुष्टी हुई तब परिसमापनादेश पारित किया ।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(घ) मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई । तथापि, प्राधिकृत सूचना नहीं दी जा सकती है क्योंकि सम्बन्धित रिकार्डों में से कुछ को मारुति के कार्य पर जांच आयोग ने अपने कब्जे में ले लिया है ।

Formation of All India Judicial Service

2369. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRI G. M. BANATWALLA:
SHRI SHYAM SUNDAR GUPTA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of India have since taken any decision to form an All India Judicial Service in the country; and

(b) if not, the reasons for delay?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). There is no proposal at present under the consideration of Government regarding the creation of an All India Judicial Service.

Translation of Manuals, Forms and other Material

2370. SHRI GANGA BHAKT SINGH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to lay a statement showing:

(a) whether he is aware that manuals, important forms and other important material received for translation and vetting from different Ministries and public sector undertakings is pending for several days;

(b) if so, the reasons for delay, the period from which the translation material of different Ministries is pending;

(c) whether the reason for this delay is the shortage of Hindi staff;

(d) if so, the total number of staff presently working and the number of employees required taking into account the work;

(e) whether Government propose to provide adequate staff; if so, when; and

(f) the time by which important translation material is likely to be returned after translation?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) The total number of pages of manuals, forms and other important material received by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs for translation into Hindi from the various Ministries/Departments and